ida इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर–452 003 (म.प्र.)

फैक्स : 2430553

इ पी बी एक्स
2531312
2434541
2533355
2545339

// प्रमाण पत्र //

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्लाट क्रमांक 39-जे (आवासीय) योजना क्रमांक 71 सेक्टर 'A' कुल क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर होकर भूखण्ड का प्रीमियम एवं वर्ष 2006-07 का लीज प्राधिकारी में जमा है तथा उक्त भूखण्ड प्राधिकारी के रेकार्ड में श्री/श्रीमती हेमलता सोनी

पिता/पति श्री सुरेश जी सोनी

निवासी–735, उषा नगर, इन्दौर

के नाम दर्ज है ।

उक्त भूखण्ड पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन निर्माण करने हेतु आवश्यक ऋण प्राप्त करने के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली लीज का हक्क कायम रखते हुए अगर उक्त भूखण्ड किसी बैंक, वित्तीय संस्था या शासन के पास गिरवी (मार्डगेज) रखा जाता है तो प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है । यह मार्डगेज प्रमाण पत्र इन्हें आवेदन दिनांक 24-4-2007 के संदर्भ में दिया जा रहा है ।

संपदा अधिकारी वर्ग–2
इन्दौर विकास प्राधिकारी
इन्दौर

पृष्ठां.क्रमांक : 4889 दिनांक : 30 APR 2007

प्रति,

श्रीमती हेमलता सोनी पति श्री सुरेश सोनी
735, उषा नगर
इन्दौर

रजिस्टर्ड/ए.डी.

इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक/ 10663

दिनांक/ 16 NOV 2022

प्रति,

1. **श्रीमती किरणलता पति श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल एवं**
2. **श्री आशीष पिता श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल**

संयुक्त निवासी– 39–जे, सेक्टर–ए, स्कीम नंबर 71,
पॉवर हाऊस के पास, इंदौर (म.प्र.)

विषयः– **योजना क्रमांक 71 सेक्टर–ए** के आवासीय उपयोग के **भूखंड क्रमांक 39–जे** के अंतरण बाबद।

संदर्भः– आपका आवेदन आवक पत्र क्रमांक 52108 दिनांक 07.09.2022

000

योजना क्रमांक 71 सेक्टर–ए के **भूखंड क्रमांक 39–जे** को प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को **आवासीय** उपयोग हेतु आवंटित किया गया था। अंतरिती पर आवंटन, इकरारनामा, लीजडीड की शर्तें बंधनकारक होने से केता द्वारा संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, इकरारनामा, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है, के आधार पर अंतरण से संबंधित सभी कार्यवाही पूर्ण होने तथा अंतरण संबंधी जाहिर सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 13.10.2022 को किया गया था। अंतरण के संबंध में निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्राधिकारी के अभिलेख में **योजना क्रमांक 71 सेक्टर–ए** के आवासीय उपयोग के **भूखंड क्रमांक 39–जे** पर अब आपका नाम **पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2007** में उल्लेखित केता अर्थात् **श्रीमती किरणलता पति श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल एवं श्री आशीष पिता श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल**, का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया जाता हैं।

उपरोक्त नामांतरण से संबंधित उक्त आवासीय भूखंड पर स्वीकृत नक्षे के विपरीत निर्माण/अनाधिकृत निर्माण/एम.ओ.एस. में निर्माण वैध नहीं होगा, इसके लिए सक्षम संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

आवंटन/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग/शर्तो का उल्लंघन होने पर अथवा केता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी असत्य होने की स्थिति में उपरोक्त अंतरण का पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(मु.का.अ. महो. द्वारा जारी निर्देशानुसार)

संपदा अधिकारी वर्ग–2
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर
दिनांक

पृ.क्रमांकः /दो/2/संपदा/2022

प्रतिलिपिः–

1– श्रीमती हेमलता पति श्री सुरेशजी सोनी तर्फे आ.मु. श्री इल्यास भाई पिता श्री अब्दुल रजाक, निवासी– 8/2, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– ई.डी.पी. मैनेजर, इं.वि.प्रा. इंदौर संदर्भ क्रमांक **26004699** में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संपदा अधिकारी वर्ग–2
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर – 452003 - 7,Race Course Road, Indore - 452003
☎ 0731-2532094, Fax no. 0731-2430553, Email : idaindore7@yahoo.in, Website: www.idaindore.org

KAMLA AUTO INDUSTRIES
Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 984141

।। श्री ।।

:: आम मुखत्यार पत्र ::

(निष्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु प्रतिफल रहित)

यह आम मुखत्यार पत्र प्रतिफल रहित निष्पादित कर देने वाली श्रीमती हेमलता पति श्री सुरेशजी सोनी निवासी 735, उषा नगर इंदौर म.प्र. (जिन्होकों इस लेख में आगे **प्रथम** पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) निष्पादक चरण कमांक 1 में उल्लेखित सम्पत्ति हेतु तत्सम्बन्धी समस्त कार्य एवं कार्यवाहियों करने हेतु असुविधा महसूस करते है इसलिए निम्न वर्णित सम्पत्ति हेतु श्री इल्यास भाई पिता अब्दुल रजाक जी निवासी 8/2, मोती तबेला, इन्दौर म.प्र. (जिन्होकों इस लेख में आगे व्दितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है) यह आम मुखत्यार पत्र प्रथम पक्ष व्दितीय पक्ष के हित में लिख देती हूँ कि :–

01– यह कि, प्रथम पक्ष के लीजराईट्स एवं आधिपत्य का प्लाट शहर इन्दौर के ''इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना कमांक 71 सेक्टर ''ए'' का भूखण्ड कमांक 39–जे का स्थित है । सदर प्लाट प्रथम पक्ष ने रजिस्टर्ड दस्तावेज पत्र कमांक 1अ/4030(ट) दिनांक 29.12.2006 के जरिये क्रय हुआ है । इस प्रकार सदर प्लाट प्रथम पक्ष के लीजराईट्स एवं आधिपत्य का होकर मालकी हक्क का है। सदर प्लाट की साईज सामने 9.00 मीटर, पीछे 9.00 मीटर, एक बाजू 15.00 मीटर, दूसरी बाजू 15.00 मीटर के नाप का होकर कुल क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर है । सदर प्लाट खुला/रिक्त अवस्था में है । सदर प्लाट आवासीय क्षेत्र में होकर आवासीय उपयोग का है । सदर प्लाट के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने दिशा में स्थित सडक से होकर रहेगी । सदर प्लाट की चतुःसीमा निम्नानुसार है :–

अविरत – – 2.

सौ हेमलता सोनी

6191

दफ्तर A4 1393 रसीद दस्तावेज वगैरह 13 मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	इल्यास भाई आम मुखत्यार	1251- 19/2/07	

तारीख 19/2/07 उप-पंजीयक

पूर्व को	::	प्लाट क्रमांक 55–जे एवं 54–जे, योजना क्रमांक 71
पश्चिम को	::	9.00 मीटर वाईड रोड
उत्तर को	::	प्लाट क्रमांक 38–जे, योजना कमांक 71
दक्षिण को	::	प्लाट कमांक 40–जे, योजना कमांक 71

02– यह कि, मुझ प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित चरण कमांक 1 में उल्लेखित प्लाट (जिसे इस लेख में सिर्फ आगे संपत्ति शब्द से संबोधित किया गया है) की उचित देखभाल, रखरखाव, हस्तांतरण इत्यादि के लिए प्रथम पक्ष ने व्दितीय पक्ष को अपना आम मुखत्यार नियुक्त कर उन्हें यह अधिकार दिये है कि :–

03– यह कि, मेरे उक्त मुखत्यार आम सदर संपत्ति को आपकी ईच्छानुसार एक भाग में या अनेक भाग में अंतरित करें, विकय करें, विकय इकरारनामा लिखे, प्रतिफल राशि प्राप्त करें, रसीद देवे, रसीद लेवे, विकय पत्र पंजीयन हेतु आवश्यक अनुमति व इजाजतें प्राप्त करें, विकय पत्र पंजीयन हेतु आवश्यक अनुमति व इजाजतों प्राप्त कर दस्तावेज प्रारूपित करें तथा दस्तावेज श्रीमान उप पंजीयक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें तथा विकय पत्र पंजीयन की कार्यवाही की मुर्तरूप प्रदान करें । सदर सम्पत्ति का कब्जा केता को देकर उसका नामांतरण संबंधित रेकार्ड्स एवं अभिलेख में करावें।

04– यह कि, मेरे उक्त आम मुखत्यार की नियुक्ति चरण एक में उल्लेखित सम्पत्ति हेतु की गई है। इस आम मुखत्यार गृहिता को मेरी अन्य सम्पत्ति से कोई संबंध या अधिकार रहेगा नहीं ।

अविरत – – 3.

सौ. हेमलता सोनी

05— यह कि, मेरे आम मुखत्यार सदर संपत्ति पर नल व बिजली कनेक्शन प्राप्त करें, तथा समय एवं परिस्थिति अनुसार एवं प्रचलित नियमानुसार व विधानानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही का निष्पादन अपने हस्ताक्षर बयान उपस्थिति आदि से समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय संबंधित विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण, निम्नतम से उच्चतम न्यायालयों एवं संबंधित विभाग, पुलिस विभाग से संबंधित आदि में उपस्थित होकर निष्पादित करें । सदर सम्पत्ति से संबंधित प्रकरणों की पैरवी करें, आवश्यक वकील, बेरिस्टर नियुक्त करें, दस्तावेज प्रतिलिपि आदि प्राप्त करें ।

06— यह कि, मेरे उक्त आम मुखत्यार सदर सम्पत्ति की व्यवस्था के लिये आवेदन, प्रार्थना, शपथ पत्र नोटिस, नोटिस का जवाब दावा, अपील सेकण्ड अपील, रिट, रिवीजन, आदि निष्पादित कर प्रस्तुत करें, स्टे प्राप्त करें तथा स्टे वेकट करावें, तथा डिक्री वारंट जारी करावें, तथा डिक्री की बजावरी प्राप्त करें आदि । यह मुखत्यार नामा आज दिनांक (निष्पादन दिनांक) से एक वर्ष की अवधि तक ही वैध रहेगा, पश्चात स्वतः निरस्त हो जावेगा ।

07— यह कि, इस मुखत्यार आम के द्वारा सदर सम्पत्ति बाबद कानून सम्मत की गई समस्त कार्यवाही मुझे मान्य होकर मुझ पर बंधनकारक रहेगी, तथा उसके पालन हेतु मै वचनबद्व रहूंगी । इस मुखत्यार आम के द्वारा सदर सम्पत्ति बाबद की गई समस्त कार्यवाही ऐसी मानी जावेगी कि मुझ निष्पादक ने स्वयं उपस्थित होकर निष्पादित की है।

अविरत — — 4.

सौ. हेमलता सोनी

उपरोक्तानुसार यह आम मुखत्यार नामा मुझ निष्पादक ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी दबाव के शरीर व मन मस्तिष्क की स्वस्थ हालत में बगैर किसी नशे पानी किये पुरे होश हवास में निष्पादित कर इस पर गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं गवाहों ने भी अपने हस्ताक्षर एक दूसरे के समक्ष कर दिये, सो सनद रहे एवं आवश्यकता पडने पर काम में आवे । इति ।

इन्दौर, दिनांक :– 19/2/08

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

सौ. हेमलता सोनी

गवाहः–

01. सही Rajesh

नाम राजेश

पिता कन्हैयालालजी

पता 60 [illegible]पुरी इन्दौर

02. सही [signature]

नाम किशोर

पिता अशोक सोनी

पता 29, पीपली बाजार, इंदौर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

[signature]

1 दस्तावेज लेखक का नाम-तेजसिंह पिता हनुमन्तसिंह
2 लायसेन्स न. [illegible] फोन 64126-482242
3 दस्तावेज लेखन का [illegible] उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर
करने का स्थान [illegible]
4 नियोजक का नाम श्रीमती हेमलता
5 पंजीयक क्रमांक 56 दिनांक 19/2/08
6 लिया गया शुल्क रु. पैसे

दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

939487

A4
1208 (2)
23/12/06

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

:: आम मुखत्यार निरस्तीकरण–लेख ::

यह आम मुखत्यार पत्र निरस्तीकरण-लेख निष्पादित कर देने वाले केवलचंद पिता श्री लालचंदजी पहाड़िया निवासी ६, मधुबन कालोनी (बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग) इंदौर (म.प्र.) (जिन्होकों आगे इस लेख में 'निष्पादक' के नाम से सम्बोधित किया गया है) निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं ऐसा कि :-

१- यह कि,मुझ निष्पादक के लीजराईट्स एवं आधिपत्य का प्लाट योजना क्रमांक ७१, सेक्टर-ए, यहाँ पर स्थित प्लाट क्रमांक ३९-जे है। सदर प्लाट मुझ निष्पादक ने इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर से प्रथम ३० वर्ष व पश्चात ३०-३० वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर रजिस्टर्ड लीजडीड क्रमांक १अ/२०५३ (ख) दिनांक ८-१-१९९२ के जरिये लीज पर प्राप्त किया है। सदर प्लाट की साईज सामने ९.०० मीटर, पीछे ९.०० मीटर, एक बाजू १५.०० मीटर, दूसरी बाजू १५.०० मीटर होकर कुल क्षेत्रफल १३५.०० वर्गमीटर है। सदर प्लाट पूर्णतया रिक्त है। सदर प्लाट आवासीय क्षेत्र में

K.C. [signature]

अविरत-------२

5193

दफ्तर A4 1208	रसीद दस्ता मुकाम		15
किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	केवलचन्द पहाड़िया आमम्यु. निरस्तीकरण	125/- 23/12/06	

तारीख 23/12/06 उप-पंजीयक

स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। सदर प्लाट के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर स्थित सड़क से है। सदर प्लाट की चतुः सीमा निम्नानुसार है :-

उत्तर-पूर्व में	:	प्लाट क्रमांक ५५-जे एवं ५४-जे, योजना क्रमांक ७१
दक्षिण-पश्चिम में	:	९.०० मीटर वाईड रोड़
उत्तर-पश्चिम में	:	प्लाट क्रमांक ३८-जे, योजना क्रमांक ७१
दक्षिण-पूर्व में	:	प्लाट क्रमांक ४०-जे, योजना क्रमांक ७१

२- यह कि, चरण १ में उल्लेखित प्लाट बाबद् निष्पादक ने श्री दीपक कुमार पिता श्री हरिहरनाथ शर्मा निवासी ५०६, आदर्श इंदिरा नगर, इंदौर (म.प्र.) को रजिस्टर्ड आम मुखत्यार पत्र क्रमांक ४अ/५१ दिनांक ९-५-१९९५ के जरिये अपना आम मुखत्यार नियुक्त किया था।

K.C. Pahade

अविरत-------३

३- यह कि, मैं निष्पादक अपने व्यक्तिगत कारणों से उक्त श्री दीपक कुमार पिता श्री हरिहरनाथ शर्मा निवासी ५०६, आदर्श इंदिरा नगर, इंदौर (म.प्र.) के हित में निष्पादित रजिस्टर्ड आम मुखत्यार पत्र क्रमांक ४अ/५१ दिनांक ९-५-१९९५ के द्वारा प्रदान किये गये समस्त हक्क व अधिकारों को निरस्त व शून्य घोषित करता हूँ। निष्पादक द्वारा श्री दीपक कुमार पिता श्री हरिहरनाथ शर्मा को इस निरस्तीकरण की सूचना पूर्व में दी जा चुकी है ।

४- यह कि, मैं निष्पादक सदर संपत्ति की समस्त व्यवस्था करने में पूर्णतया स्वतंत्र व सक्षम हूँ।

५- यह कि, भविष्य में उक्त संपत्ति के लिये उक्त मुखत्यार कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। उनके द्वारा किया जाना वाला कोई भी कार्य मुझ निष्पादक पर बंधनकारक न होगा।

K.C. Pahwa

अविरत-------४

गैर न्यायिक

उपरोक्तानुसार यह आम मुखत्यार निरस्तीकरण लेख मैंने अपनी राजी-खुशी से होश-हवास में बिना नशा-पानी किये, शरीर व मन मस्तिष्क की स्वस्थ हालत में निष्पादित कर दिया सो सही ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

इति, इंदौर

दिनांक : 23.1206

हस्ताक्षर निष्पादक

गवाह :-

१. ----------------

मनोहर लक्ष्मीनारायण सोनी
735 उषा नगर एक्स. इन्दौर

२. ----------------

किशोर अशोक सोनी
29, पीपली बाजार, इंदौर

(उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया है।)

(मनोज जैन 'एरिस्टो')
अधिवक्ता
ऑ.-मोती तबेला, (रजि. ऑ. की गली में) इंदौर
निवास- २३, सच्चिदानंद नगर, इंदौर (म.प्र.)
मो. नंबर ९८२७०-३३४४२

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY INDORE

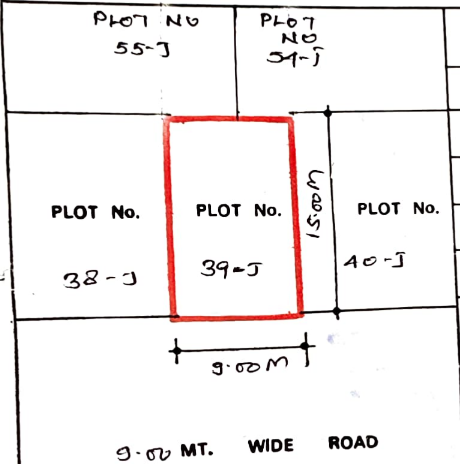

SITE PLAN

PLOT No.	39
TYPE.	J
SECTOR	A
SCHEME No.	71 SIRPUR
BOUNDARY OF PLOT SHOWN AS	[red box]
PLOT AREA	135.00 Sq.metre

NOTE : BUILDING PERMISSION AS PER M. P. BHUMI VIKAS NIYAM 1984

LEASSEE –
श्री केवलचंद लालचंद पहाड़िया

K. C. Paharia [signature]

~~Row type~~/Semi detached/~~Detached~~
Special Conditions regarding
F.A.R./Coverage (if any)...Nil.....

NOT TO THE SCALE

No.

[signature]
DRAWN BY

[signature]
EXECUTIVE ENGINEER

[signature]
सम्पदा अधिकारी,
CHIEF EXECUTIVE OFFICER.
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर